न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 15/2025 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2025/121

मदनलाल सोनी पुत्र श्री चेतनराम् सोनी जाति सोनी निवासी महाराणा प्रताप चौक सादुलपुर तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

———अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू जिला चूरू।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री बजरंग लाल शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्र सिंह — अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.10.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 13.05.2019, जिसके द्वारा अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट चूरू के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन कर अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन आर्म्स लाईसेंस हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपवन संरक्षक वन विभाग चूरू से व जिला पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा टिप्पणी चाही गई। उक्त दोनों विभाग द्वारा अपीलांट के पक्ष में सकारात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन दोनो ही टिप्पणीयों पर कोई विवेचन, विश्लेषण व मनन किये बगैर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अपीलांट कस्बा सादुलपुर के पास मुख्य बाजार में ज्वैलरी का शोरूम चलाता है, जिस शोरूम पर दिनांक 28.07.2017 को चार व्यक्तियों द्वारा हाथों में रिवाल्वर व पिस्टल लेकर गोलिया चलाने व ज्वैलरी शोरूम को लूटकर ले जाने बाबत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 365/2017 अपीलांट के भाई मोतीलाल द्वारा दर्ज करवाई गई है, जो प्रकरण बाद अनुसंधान मुलजिमान के खिलाफ न्यायालय में जैरकार है तथा उक्त वारदात के बाद अपीलांट व उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई हुई है। अपीलांट नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु आवश्यक सभी मापदण्डों को पूर्ण करता है, मगर पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान रेस्पोडेन्ट ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा विना अपीलांट को कोई सूचना दिये तथा उसकी कोई भी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 25.07.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी चाही तो आदेश जैर अपील बाबत अपीलांट को लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 11.09.2019 के द्वारा निर्णय व आदेश जैर अपील के बाबत सूचना प्रेषित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपास्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट इस न्यायालय में भी अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता बाबत कोई उचित कारण बताने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

8. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर